रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I— खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 223] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 1975/कार्तिक 20, 1897

No. 223] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 1975/KARTIKA 20, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE
PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th November 1975

SUBJECT.—*Price Schedules showing F.A.S./F.O.B. prices of different varieties, grades and qualities of mica and other conditions applicable to their export.*

No. 48-ETC(PN)/75.—Attention is invited to the Public Notice No. 31-ETC(PN)/75 dated the 15th July, 1975, on the subject mentioned above.

2. Annexure 'G' to the above said Public Notice shall be substituted by the following :—

"Shipment of fabricated mica i.e. cut mica blocks and condensor films accurately gauged, cut plates, punched backing plates or backers, punched bridges, spacers, trimmers, transister plates, or transister pads, washers and discs and all varieties of mica cut or punched to specified shapes and sizes will remain free from the stipulation regarding opening of 100 per cent irrevocable letter of credit. Macanite, built-up mica, mica tapes, mica cloth, mica silk mica paper, mica folium will also continue to be free from above stipulations".

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports and Exports

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1975

विषय.—अभ्रक विभिन्न प्रकारों, श्रेणियों और किस्मों की जहाज तक निःशुल्क/जहाज पर्यन्त निःशुल्क कीमतों को प्रदर्शित करने वाली कीमत अनुसूचियां और उनके निर्यात के सम्बन्ध में लागू अन्य शर्तें ।

सं० 48–ई० टी० सी० (पी० एन०)/75.—उपर्युक्त विषयक, सार्वजनिक सूचना संख्या : 31–ई०टी०सी० (पी०एन०)/75, दिनांक 15 जुलाई, 1975 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना का अनुबन्ध 'जी' निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"गढ़े हुए अभ्रक अर्थात् कटे हुए अभ्रक ब्लाक और यथार्थ माप की कन्डैसर फिल्में, कटी हुई प्लेटें, पंचड बैकिंग प्लेटें या वैकर्स, पंचड ब्रिजिज, स्पैयर्स, ट्रिमर्स, ट्रांजिस्टर प्लेटें, या ट्रांजिस्टर पैड्स, वाशर्स और डिस्क्स और अभ्रक की निर्धारित आकारों तथा मापों तक कटी हुई या पंच की हुई सभी किस्मो का पोतलदान 100 प्रतिशत अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने से सम्बन्धित शर्त से मुक्त रहेगा । मिकेनाइट, निर्मित अभ्रक, अभ्रक टैप्स, अभ्रक कपड़ा, अभ्रक रेशम, अभ्रक कागज, अभ्रक फोलियम भी उपर्युक्त शर्तों से मुक्त रहेंगे ।"

बी० डी० कुमार

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI. 1975